राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ.15(3)डीओपी/ए-II/2013/पार्ट जयपुर, दिनांक: 09-09-2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 3 का संशोधन.-** राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017, के नियम 3 में विद्यमान उप-नियम (8) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (9) से पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (8क) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(8क) उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग का कोई पदक विजेता, जो राजस्थान राज्य का निवासी है और केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन पहले से ही सेवारत है, यदि वह इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र है, तो उप-नियम (1) के अधीन नियुक्ति के लिए उसकी पात्रता का विचार किये बिना, अनुसूची-I, अनुसूची-II या, यथास्थिति, अनुसूची-III में उल्लिखित किसी समतुल्य पद पर राज्य में उसकी नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा। वेतन लेवल, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी है, के अधिकतम वेतन के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार में उसके द्वारा आहरित वेतन के संबंध में, ऐसी नियुक्ति पर उसका वेतन और वेतन लेवल संरक्षित किया जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

9/9/2022

(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

51/2022